(c) and (d) The prices of crude oil have been increased from Rs. 1021/MT to Rs. 1506/MT with effect from 16-9-92 on the representation made by ONGC and Oil.

Ignorance by ONGC

755. SHRI MENTAY PADMANABHAM: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that O.N.G.C. had ignored information that the pipeline which ruptured on 17th May, 1993 at Bombay High BHN Complex was steadily decaying;

(b) if so, when the alarming advance information was received;

(c) on what consideration the O.N.G.C. ignored this information;

(d) what was the gross financial loss to O.N.G.C. due to this over-sight; and

(e) whether responsibility was fixed and action initiated in the matter if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI CAPT. SATISH SHARMA): (a) to (e) An enquiry had been ordered to go into various aspects of the pipeline leakage including fixation of responsibility for the same. The report of the Enquiry Committee which has since been submitted is presently under the consideration of the Oil & Natural Gas Commission. The loss suffered by ONGC on account of loss of crude oil and expenditure in containing the oil spill is estimated at Rs. 4.32 crores.

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के पुनर्गठन की जांच करने के लिए समिति का गठन

756. **श्री अजीत जोगी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के पुनर्गठन से संबंधित मामले की जांच करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि यहां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के पुनर्गठन से देश में तेल की खोज करने के क्षेत्र में सुधार करने के कार्य में किस सीमा तक मदद मिलेगी;

(घ) क्या सरकार हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को अधिक प्रबंधकीय तथा वित्तीय स्वायत्ता देने की आवश्यकता की जांच करने के लिए एक और समिति नियुक्त करने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) : (क) और (ख) सरकार ने तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के पुनर्गठन की जरूरत की जांच करने की दृष्टि से इसके वर्तमान संगठन के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए श्री पी. के. कौल की अध्यक्षता में दिनांक 24.1.1992 को एक समिति का गठन किया था। इस समिति की सिफारिशों की जांच करने के पश्चात् सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत एक सार्वजनिक लि. कम्पनी में परिवर्तित करने तथा नयी कम्पनी के इक्वीटी आधार का विस्तार करके नयी कम्पनी में सरकार की इक्वीटी को 20 प्रतिशत तक कम करना स्वीकार कर लिया है। नयी कम्पनी तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग लि. को 23.6.1993 को निगमित कर दिया गया है।

(ग) यह निर्णय तेल एवं प्राकृतिक